FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **सरकार बनाम बलकेश वगै0**

किस्म मुकदमा **प्रा0पत्र वास्ते सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट** नम्बर **15/133/2022 दा0दि0 25.04.2022**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.10.2022	पत्रावली प्रार्थी के प्रा0पत्र पर आज पेश हुई। प्रार्थी बलकेश पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी ग्राम बामनवास कांकड तहसील व थाना नारायणपुर जिला अलवर मालिक वाहन जरिये अधिवक्ता पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का वाहन पिकअप रजि0 सं0 आर.जे. 32 जीबी 3544 धारा 5, 8, 9, 10 आर.बी.एक्ट के तहत थानाधिकारी पुलिस थाना बानसूर द्वारा जप्त किया गया है। जिसे सुपुर्दगी पर प्रार्थी को दिये जाने के आदेश फरमावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थानाधिकारी पुलिस थाना बानसूर से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी थाना बानसूर ने अपने पत्रांक 3840 दिनांक 23.09.2022 के द्वारा निवेदन किया कि मुकदमा हाजा में जप्त शुदा वाहन पिकअप रजि0 सं0 आर.जे. 32 जीसी 7789 को सुपुर्दगी पर दिया जाता है, तो मुकामी पुलिस को कोई एतराज नहीं है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। जप्तशुदा वाहन पिकअप रजि0 सं0 आर.जे. 32 जीबी 3544 को सुपुर्दगी हेतु प्रार्थी यदि 5,00,000/– (पांच लाख रूपये मात्र/–) तस्दीक शुदा जमानतनामा व सुपुर्दनामा पेश करें, तो प्रार्थी को उक्त वाहन इन शर्तो पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। 1. प्रार्थी वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा! 2. न्यायालय को जब भी उक्त वाहन की आवश्यकता होगी वाहन को न्यायालय में पेश करेगा। पत्रावली वास्ते पेश करने जमानतनामा व सुपुर्दनामा दिनांक 17.10.2022 को पेश हों। जिला कलक्टर अलवर	

17/10/2022

परिवादी [illegible] वकील [illegible] उपस्थित। निगरानीकर्ता के [illegible] पुनरीक्षण पेश किया गया [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] (S.D.O. बानसूर को बाबत पुनरीक्षण पर देने बाबत अधिकार नहीं होना। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)